तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रूपाराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 146 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रूपाराम रूदिया पता गांव रूदिया तहसील भोपालगढ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.07.19 में उसके द्वारा (1) राशन कार्ड संख्या 200004004794 के राष्ट्रीय सुरक्षा योजना (NFSA) में समावेशन करते हुए उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के डिजीटल हस्ताक्षर से 27.02.2019 को समावेश्न के दिये गए आदेश की है कि समावेशन के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ न मिलने के जिम्मेवार अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराए व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 1305 दिनांक 02.09.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय से संबंधित न होने एवं जिला रसद अधिकारी, ग्रामीण जोधपुर से संबंधित होने से धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 71 दिनांक 20.08.18 के अंतरित किया जा चुका है। जिला रसद अधिकारी ग्रामीण जोधपुर से रिपोर्ट मांगी गई। जिला रसद अधिकारी ग्रामीण जोधपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 245 दिनांक 11.09.19 में बतलाया कि बिन्दु संख्या–1 के संबंध में प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में चयन हेतु उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ को अपील की गई थी तथा प्रार्थी का योजना में समावेशन का आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही किया गया परन्तु प्रार्थी का ऑनलाईन स्टेट्स " हॉ " नहीं किया गया जिसके कारण प्रार्थी को लाभान्वित नहीं किया जा सका अतः प्रार्थी का लॉनलाईन स्टेटस " हॉ " उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा ही किया जाना है। अपनी रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 2 व 4 उनके कार्यालय से संबंधित नहीं होना कहा गया। जिला रसद अधिकारी ग्रामीण जोधपुर की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ ने अपने कार्यालय स्तर पर अपीलार्थी / प्रार्थी रूपाराम का राशन कार्ड संख्या 200004004794 के राष्ट्रीय सुरक्षा योजना (NFSA) में दिनाक 27.02.19 को समावेशन आदेश करते हुए अपने डिजीटल हस्ताक्षर किए गए, परन्तु प्रार्थी का ऑनलाईन स्टेट्स लगातार....	

" हॉं " नहीं किया गया जो उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ को ही किया जाना था अतः प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा प्रार्थी को बिन्दुवार रिपोर्ट प्रेषित की और जिला रसद अधिकारी ग्रामीण को प्रार्थना पत्र बिना अध्ययन किये ही स्थानान्तरित करने की कार्यवाही गलत है तथा ऐसा करना विधिक प्रावधानों को आत्मसात् न करने का फल है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम अपने कार्यालय स्तर पर अपीलार्थी/प्रार्थी रूपाराम का राशन कार्ड संख्या 200004004794 के राष्ट्रीय सुरक्षा योजना (NFSA) में दिनाक 27.02.19 को समावेशन आदेश किये गये, का ऑनलाईन स्टेट्स " हॉं " किया जावे, तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।